संख्या - 16 /2019 / ए-1- 1137 /दस-2019-10(23)/95

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2019

विषय : लम्बी अवधि से अनाहरित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के कोषागारों में रक्षित पेंशनर डेटाबेस में ऐसे पेंशनर्स के रिकॉर्ड भी सम्मिलित हैं, जिनकी पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का आहरण विगत एक वर्ष से अधिक समय से नहीं हो रहा है। पेंशनर्स डेटाबेस में ऐसे रिकॉर्ड्स के बने रहने पर कभी भी गलत भुगतान हो जाने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे मामले जिनमें पेंशन लम्बे समय तक के लिये अनाहरित रहती हो, में कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशानिर्देश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- 5 भाग -2 के नियम 511 एवं 529 तथा मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट ऑर्डर्स के अध्याय 55 में दिये गये हैं। इन नियमों के अनुसार पेंशनरों की लिस्ट को नियमित रूप से अद्यावधिक किये जाने का दायित्व कोषाधिकारियों का है।

2- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 का नियम 529 नीचे उद्धत किया गया है :-

"529. (1) Pensions not drawn for three years in the case of those adjustable under "266-Pension and other Retirement Benefits" cease to be payable at the Treasury without the prior sanction of the Accountant General. Arrears of pension due in case of a deceased pensioner also cease to be payable by the Treasury Officer, if they are not claimed within one year of the pensioner's death. The Treasury Officer should sort out such cases by examining the files of civil Pension Payment Orders every month and

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

return his halves of the Pension Payment Orders to the Accountant General along with the statement mentioned in sub-para (2) below.

(2) The Treasury Officer should submit to the Accountant General, every six months, a statement of cases of failure to draw pension. The statement should be prepared in two parts, one part showing the names of all pensioners who have not drawn their pensions for three years and the other part showing the names of pensioners other than those included in the former part who have not drawn their pensions for more than one year. The reason for the non-drawal, if known, should be stated against each name."

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 भाग-2 के 529 तथा मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट ऑडर्स के अध्याय 55 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रदेश के समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

(1) ऐसे सभी प्रकरण जिनमें 03 वर्ष से अधिक अवधि की पेंशन का आहरण न हुआ हो, अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो, के पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) की कोषागार की प्रति उस प्राधिकारी को वापस कर दी जाये जिसके द्वारा पी0पी0ओ0 निर्गत किया गया हो तथा इसकी सूचना निदेशक, पेंशन तथा सम्बन्धित पेंशनर को प्रेषित की जाये।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रत्येक वर्ष01 अप्रैल तथा 01 सितम्बर को पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले प्राधिकारियों को ऐसे मामलों की सूची वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 529(2) के अनुसार भेजेंगे जिनमें पेंशन का भुगतान 01 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं हुआ है। यह सूची दो भागों में होगी। प्रथम भाग में ऐसे सभी पेंशनरों का विवरण दिया जायेगा जिनकी पेंशन का भुगतान 03 वर्ष से नहीं किया गया हो । द्वितीय भाग में ऐसे पेंशनरों का विवरण दिया जायेगा, जिनकी पेंशन का भुगतान 01 वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया हो परन्तु द्वितीय भाग में उन पेंशनरों का विवरण सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिनका विवरण सूची के प्रथम भाग में दिया गया हो। इस सूची की एक प्रतिलिपि निदेशक , पेंशन को प्रेषित की जाये।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पी0पी0ओ0 की कोषागार प्रति

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजने के साथ ही साथ पेंशनर डेटाबेस से उस पेंशनर का रिकार्ड "डीलीट मार्क" कर दिया जाये तथा ऐसे डीलीट मार्क किये गये रिकार्डस की सूची का रजिस्टर संलग्न प्रारूप पर रखा जाये।

4- पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले प्राधिकारी को उपर्यक्तानुसार प्रेषित पी0पी0ओ0 के पुनर्वैधीकरण के उपरान्त कोषागार में प्राप्त होने पर पेंशनर डेटाबेस में उसकी पुन: इन्ट्री कर निर्धारित रजिस्टर में यथास्थान प्रविष्टि की जाये तथा पेंशन अवशेष भुगतान एवं पेंशन पुनर्आहरण शुरू किया जाये। इसकी सूचना भी निदेशक, पेंशन को अनिवार्य रूप से भेजी जाये।

5- इस आदेश के प्रस्तर-3(3) एवं प्रस्तर-4 में उल्लिखित रजिस्टर का रख रखाव एवं पेंशनर्स डेटाबेस में पेंशनर्स के रिकार्ड्स की "डिलीशन मार्किंग" तथा " एडीशन" मुख्य /वरिष्ठ/ कोषाधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में किया जायेगा तथा सही भुगतान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य /वरिष्ठ/ कोषाधिकारी का होगा।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या - 16 /2019 / ए-1- 1137 /दस-2019-10(23)/95, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक।
(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पेंशनर डेटाबेस में रिकार्ड के डिलीशन मार्किंग / पुनवैधीकृत प्रकरणों के रिकार्ड एडीशन का रजिस्टर

कोषागार का नाम-

क्र0सं0	कोषागार इण्डेक्स संख्या	पी0पी0ओ0 संख्या	पेंशनर का नाम	पेंशन अनाहरित रहने की अवधि	डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट मार्क किये जाने की तिथि	पी0पी0ओ0 निर्गमन अधिकारी		हस्ताक्षर		
						पी0पी0ओ0 प्रेषित किये जाने की तिथि	पदनाम	लेखाकार	सहायक कोषाधिकारी	मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11

पुनर्वेधीकृत पी0पी0ओ0 प्राप्त होने की तिथि	डेटाबेस में रिकॉर्ड के एडीशन की तिथि	पेंशन भुगतान पुन: प्रारम्भ होने की तिथि	हस्ताक्षर		
			लेखाकार	सहायक कोषाधिकारी	मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

टिप्पणी :- पेंशनर का तात्पर्य पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर से है। तद्नुसार इस सूची मे यथास्थिति पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर दोनों से संबंधित सूचना रखी जाय।